

09/05/18

राज्य द्वारा ए.डी.पी.को. उप.।

आरोपी मोहन सिंह सोहर श्री जी.

एस. निगम अधि. उप.।

फिरादी पुष्पा बर्हि स्वयं सहित पवन कुमार अधि. उप.।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत है।

पक्षकार पति पत्नी हैं और उनके मध्य

आपसी विवाद है जिसका मीडियेशन के

माध्यम से निराकरण होने की प्रबल

संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण

मीडियेशन हेतु तत्काल विधि सेना प्राधिकरण

को भेजा जा रहा है।

रैफरल बोध जारी है।

प्रकरण मीडियेशन रिपोर्ट हेतु पुष्पा

देर पश्चात प्रस्तुत है।

*Signature*

रिचार्ज शर्मा

न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड

पुराश्चः

पक्षकार पूर्ववत्।

मीडियेशन सफल होने का प्रतिवेदन

प्रतिष्ठित मीडियेटर का प्राप्त।

इसी प्रक्रम पर फिरादी ने एक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(2) दफ्त स प्रस्तुत

करते हुए राजीनामा की अनुमति प्रदान करने

एवं अन्य पक्ष द्वारा एक अन्य आवेदन


राजीनामा के आधार पर आरोपीगण के

मोहन सिंह  
पुष्पा बर्हि  
पवन कुमार  
रिचार्ज शर्मा  
न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-भिण्ड




## Order Sheet [Contd]

Case No. .... of 20 .....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>दोषगुप्त करने के निवेदन के साथ प्रस्तुत किया।</p> <p>असेपी पर धारा 294, 323, 506(1) भादसं. के अंतर्गत अभियोग है जिनमें से धारा 294, 506(1) IPC न्यायालय की अनुमति से फरियादी पुष्पा द्वारा एवं धारा 323 IPC भी फरियादी पुष्पा द्वारा राजीनामा प्रेषित है।</p> <p>फरियादी की पहचान श्री पवन कुशवाह अधि. द्वारा की गई। अभिलेख के आधार पर भी फरियादी से पूछताछ कर न्यायालय उसकी पहचान के विषय में संतुष्ट है। साथ ही इस बात से भी न्यायालय संतुष्ट है कि पक्षकारों के मध्य स्वेच्छया बिना किसी लालच या दवाब के राजीनामा हुआ है।</p> <p>उपरोक्त स्थिति में फरियादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 320(2) स्वीकार कर उसे असेपी से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p>	 <p>मोहनकिशोर</p>



Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p> तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत झोवदग  द्वारा 320 दफ्तर स्वीकार किया जाकर  आरोपी मोहन सिंह पुत्र रामदेव  जायब को भादसे. की धारा 294,  323, 506 भाग-2 के अपराध  में दोषमुक्त किया जाता है।  आरोपी के जमानत मुचलके  भारहीन छिए जाते हैं।  प्रकरण का परिणाम पंजी में  दर्ज कर समयावधि के भीतर डिमिशनवागार  भेजा जावे। </p> <div data-bbox="842 1176 1157 1422">   <b>शिवजी शर्मा</b>  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  गोबंद, जिला-भिण्ड </div>	